CNR No-UPDE010042992022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई0सी0 एक्ट)
कक्ष सं0 4, देवरिया।
उपस्थित– अजय कुमार (एच.जे.एस.)
अपराधिक अपील संख्या–73/2022

1. अब्दुल कादिर वउम्र 68 वर्ष पुत्र स्व0 सफीउल्लाह निवासी–रामगुलाम टोला, थाना–कोतवाली, जिला–देवरिया।
2. नाजबुन निशा वउम्र 60 वर्ष पत्नी अब्दुल कादिर निवासी–रामगुलाम टोला, थाना–कोतवाली, जिला–देवरिया।

.........अपीलार्थीगण

बनाम

1. मदीना खातून वउम्र 28 वर्ष पत्नी शकील अहमद निवासी मौजा–रामगुलाम टोला, थाना–कोतवाली जिला–देवरिया।
2. उ0प्र0 सरकार ....प्रतिपक्षीगण

निर्णय

यह आपराधिक अपील आवेदकगण ने घरेलू हिसां वाद संख्या–13348/2021 मदीना बनाम अब्दुल कादिर व अन्य के प्रकरण में घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005, थाना–कोतवाली, जनपद देवरिया पर विद्वान सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफ.टी.सी. द्वितीय, देवरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत किया है। आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांकित 20.09.2022 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2022 को स्वीकार किया गया तथा आपत्ति दिनांक 10.08.2022 व 01.07.2022 निरस्त की गयी। आवेदिका व प्रतिपक्षीगण को आदेशित किया कि वह किचन में बंद किया गया ताला खोल दे। दौरान वाद आवेदिका मकान के जिस हिस्से में रहती है, खाना बनाती है, उसमें प्रतिपक्षीगण उसके रहन सहन में हस्तक्षेप न करे। प्रतिपक्षीकण आवेदिका के बिजली उपभोग में व्यवधान कारित न करे। दोनो पक्ष दौरान वाद अपना–अपना बिजली बिल वहन करे।

प्रार्थिनी/प्रत्यर्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.07.2022 के द्वारा यह निवेदित किया कि आदेश दिनांक 18.07.2022 के पारित होने के पश्चात प्रतिउत्तरदाता अत्यंत उग्र तथा रंज हो गए है। जिसके कारण वह लोग हम प्रार्थिनी के प्रति तथा हम प्रार्थिनी की संतान नाबालिग को जान से मारने पर तुले हुए है, तथा वे लोग हम प्रार्थिनी के पति को अपमानित करते हुए भद्दी–भद्दी गालियॉ दे रहे है, तथा मना करने पर मारपीट करने पर तुले हुए है। इतना ही नहीं प्रतिउत्तरदातागण ने हम प्रार्थिनी के किचन में ताला लगा दिया है था विद्युत संबंध भी विचलित करा दिया है, जिसके कारण हम प्रार्थिनी का साझी गृहस्थी में रह पाना अत्यंत कठिन हो गया है। अतः प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष कोतवाली को निर्देशित किया जाए कि वह हम प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार की व शरीर की रक्षा करते हुए प्रतिउत्तरदातागण को मना कर दे कि वे लोग सावधानी के साथ घरेलू हिंसा कार्य न करें तथा थानाध्यक्ष महोदय हम प्रार्थी से संबंधित साझी गृहस्थी की मकान में विद्युत संबंध कायम करा दे तथा साझी गृहस्थी के मकान के किचन में लगे ताले को अविलम्ब खुलवा दे।

विपक्षी/आवेदकगण द्वारा अवर न्यायालय में दाखिल आपत्ति मय शपथ पत्र दिनांकित 10.08.2022 इस आशय की दाखिल की गयी कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2022 खिलाफ कानून और खिलाफ असलियत है, इसलिए खारिज किए जाने योग्य है। आदेश दिनांक 18.07.2022 के पारित होने से हम प्रतिवादी उग्र नहीं हुए बल्कि मायूस और दुखी हुए हैं। मदीना खातून को कोई अधिकार प्रस्तुत वाद चलाने का नहीं है क्योंकि वह पीड़ित व्यक्ति नहीं है बल्कि वे मदीना खातून एक मोहरा है और उसके पीछे उसका पति अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। प्रतिपक्षी अब्दुल कादिर एवं नाजबुन निशा की उम्र लगभग 67 या 68 साल की हो चुकी है, और अब्दुल कादिर एवं नाजबुन निशा दोनों हार्ट के मरीज हैं, ज्यादा तेज बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और अब्दुल कादिर और नाजबुन की एनजीओप्लास्टी हुई है, जिससे वो काफी कमजोर महसूस करते है। मदीना का कथन कि हम प्रतिपक्षी प्रार्थिनी तथा प्रार्थिनी के पति को भद्दी भद्दी गाली देते हैं और अपमानित करते हैं, बिल्कुल निराधार हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि क्या प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम डॉमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पति–पत्नी दोनों लाभार्थी हो सकते हैं या दोनों मिलकर एग्रीव्ड पर्सन हो सकते हैं, अगर नहीं तो दरखास्त मेंटेनेबल नहीं है। किचन में मदीना के पति ने ताला बंद किया है, ना कि हम प्रतिपक्षी ने। बिजली कनेक्शन प्रतिवादी के नाम था, जिसका बकाया मूल्य रू0–10000/– से अधिक हो गया था और उसकी अदायगी में कोई साथ मदीना का पति नहीं अदा कर रहा था, इसलिए हम प्रतिवादी ने कनेक्शन कटवा दिया। प्रार्थिनी द्वारा दरखास्त में दिए गए आधार बनावटी हैं। अतः उसकी दरख्वास्त खारिज होने योग्य है।

प्रतिपक्षी सं0 1 मदीना खातून द्वारा प्रति आपत्ति खिलाफ आपत्ति अब्दुल कादिर दिनांकित 07.09.2022 प्रस्तुत करते हुए प्रतिपक्षी की बातों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि आपत्ति खिलाफ कानून, खिलाफ सत्य व खिलाफ असलियत के हैं। प्रतिपक्षी द्वारा दुर्भावनापूर्वक साझी गृहस्थी की मकान में बिना किसी उचित कारण के ही विद्युत संबंध विच्छेद करा दिया गया, जिसमें हम परिवादिनी के पुत्र तथा हम परिवादिनी के पति को असहनीय वेदना झेलनी पड़ रही है। यद्यपि प्रतिपक्षी अब्दुल कादिर की उम्र 62 वर्ष है, परंतु वह इस अवस्था में भी दुराचार, हिंसा तथा क्रूरता में तल्लीन है तथा वह सीनियर सिटीजन होने की आड़ में परिवादिनी को हैरान व परेशान करते हैं। प्रस्तुत कार्यवाही में हम परिवादिनी के हक व हिस्से का निर्धारण नहीं होना है बल्कि प्रतिपक्षीगण द्वारा कारित घरेलू हिंसा का निर्धारण होना है। स्थिति यह कि प्रतिपक्षी को कोई अधिकार नहीं है, कि वह हम परिवादी को साझी गृहस्थी के मकान से बेदखल करें। ऐसी परिस्थिति में प्रतिपक्षीगण हम परिवादिनी तथा परिवादिनी के संतान को साझी गृहस्थी के मकान में रखने के लिए पाबंद है। चुकि हम परिवादिनी युवती है तथा पर्दानशी है, इसलिए हम परिवादिनी का पति हम परिवादिनी की सुरक्षा हेतु हम परिवादिनी के साथ मुकदमे की पैरवी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में केवल घरेलू हिंसा का मामला तथा इसमें मुस्लिम लॉ से संबंधित कोई मामला

नहीं है। परिवादिनी मदीना के पक्ष में दस्तावेज बैनामा में अंतग्रस्त संपत्ति को हम परिवादिनी ने अपनी जरूरत के अनुसार बेच दिया है। इस वक्त हम परिवादिनी के नाम से कोई बैनामा संपत्ति नहीं है। वस्तुस्थिति एवं विधिक स्थिति यह है कि हम परिवादिनी ने वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत परिवाद दाखिल किया है। प्रतिपक्षीगण का यह अभिकथन कि हम परिवादीनी अपने पति को उकसाने और भड़काने पर प्रस्तुत मुकदमा दाखिल किया, नितांत मिथ्या एवं निराधार है। यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी द्वारा साझी गृहस्थी की मकान में बिजली की आपूर्ति कटवा दिया जिससे पीड़ित होकर हम परिवादिनी पति तथा अपनी संतान को अस्थाई बिजली की सुविधा हेतु अत्यंत छोटे सोलर पैनल से उधार लेकर साझी गृहस्थी कि मकान में रखा है।

विपक्षी/आवेदकगण द्वारा प्रति आपत्ति विरुद्ध प्रति आपत्ति दिनांक 13.09.2022 को दाखिल करते हुए कथन किया है कि प्रति आपत्ति खिलाफ कानून व खिलाफ असलियत है प्रति आपत्ति दिनांकित 07.09.2022 तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2022 में मदीना खातून ने केवल यह याचना किया है कि प्रार्थिनी के साथ घरेलू हिंसा कारित न किया जाए तथा मकान के किचन में ताले को अविलंब खुलवा दिया जाए तथा थानाध्यक्ष महोदय को आदेशित किया जावे की वह साझी गृहस्थी की मकान में विद्युत संबंध कायम करा दे। यह कहना आवश्यक है। कि वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं दर्शाया है कि विवादित मकान में किस कमरे में मदीना रहती हैं, किस कमरे में उसका पति शकील अहमद रहता है, किस कमरे में अब्दुल कादिर रहते हैं और किस कमरे में नाजबुन निशा रहती है, किस कमरे में कादिर के दूसरे लड़के सलीम अहमद और उनकी पत्नी रहती है, और ना ही यह बताया है कि मकान में कितने किचन और शौचालय हैं। जब न्यायालय का यह मत है कि वह पत्नी भी घरेलू हिंसा में प्रार्थना पत्र अपने सास ससुर के खिलाफ दे सकती है जो अपने पति द्वारा भरण पोषण पाती हो और अपने पति के साथ सास ससुर द्वारा निर्मित मकान में रहती हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को यह तय करना होगा कि पति को रहने के लिए कितना कमरा दिया जाए, पत्नी को रहने के लिए कितना कमरा दिया जाए तथा सास–ससुर और दूसरे पुत्र के परिवार को रहने के लिए कितना कमरा दिया जाए। इसके अलावा न्यायालय को यह भी तय करना होगा कि एक किचन है तो सब फरिकैन कैसे किचन में खाना बनाएंगे और अगर दो किचन हैं तो न्यायालय कैसे व्यवस्था बनाएगी। इन सारी बातों का भी निस्तारण होना संभव है, जब न्यायालय पूरे मकान का नक्शा बनवा कर यह तय करे कि किस कमरे मे कौन कौन रहेगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। मदीना ने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया है कि वह कुल कितने कमरे हैं में निवास करती है और उसका पति कितने कमरे में निवास करता है तो न्यायालय को निर्णय देने में असुविधा होगी। अतः निवेदन है कि या तो मदीना का प्रार्थना पत्र 22.07.2022 खारिज करने की कृपा की जाए या विवादित मकान का नक्शा किसी कमिश्नर से बनवा कर कोई उचित निर्णय पारित करने की याचना की गयी है।

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक अवलोकन के पश्चात आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांकित 20.09.2022 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2022 को स्वीकार किया गया तथा आपत्ति दिनांक 10.08.2022 व 01.07.2022 निरस्त की गयी। आवेदिका तथा प्रतिपक्षीगण को आदेशित किया गया कि वह किचन में बंद किया गया ताला खोल दें। दौरान वाद आवेदिका मकान के जिस हिस्से में रहती है, खाना बनाती है, उसमें प्रतिपक्षीगण उसके रहन–सहन में हस्ताक्षेप न करें तथा प्रतिपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि आवेदिका के बिजली उपभोग में व्यवधान कारित न करे, दोनो पक्ष दौरान वाद अपना–अपना बिजली बिल वहन करेगें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 20.09.2022 से क्षुब्ध होकर यह फौजदारी अपील प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थीगण व प्रतिपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एव समस्त पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अपीलार्थीगण द्वारा अपील का आधार इस प्रकार है कि आदेश दिनांक 22.07.2022 खिलाफ काननू व खिलाफ असलियत है अतः खारिज किए जाने योग्य है। मदीना प्रत्यर्थिनी दिनांक 22.07.2022 को मिथ्या कथनों के आधार पर इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि थानाध्यक्ष कोतवाली को निर्देशित किया जावें कि हम प्रार्थिनी और प्रार्थिनी के परिवार के शरीर की रक्षा करते हुए प्रतिउत्तरदातागण को मना कर दिया जावें कि वे हम प्रार्थिनी के साथ घरेलू हिंसा कारित न करें तथा थानाध्यक्ष महोदय हम प्रार्थिनी से सम्बन्धित साझी गृहस्थी की मकान में विद्युत सम्बन्ध कायम करे दे तथा मकान के किचन में लगे ताले को अविलम्ब खुलवा दे। प्रार्थना पत्र दिनांक– 22.07.2022 आपत्ति दिनांक– 10.08.2022 को दाखिल की गई और उस आपत्ति में धारा 3 में यह स्पष्ट रूप से अभिकथिन किया गया कि मदीना खातून हरगिज घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा में नही आती है। बल्कि उसका पति उसका भरण–पोषण करता है और मदीना खातून एक मोहरा है। उसके पीछे उसका पति है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि घरेलू हिंसा अधिनियम उन अबला नारियो के लिए है जो अपने पति या ससुर से आश्रय नही पाती है। प्रस्तुत मामले में मदीना प्रत्यर्थिनी अपने पति से भरण–पोषण बखूबी पाती है। अगर वह भरण–पोषण पाती है तो मदीना की रिहायश की व्यवस्था भी उसका पति ही करेगा, दूसरा कोई नही करेगा। लेकिन इस विषय पर कोई निष्कर्ष विचारण न्यायालय ने नही दिया है। हम अपीलार्थी ने अपने आपत्ति दिनांक 07.09.2022 के विरूद्ध प्रति आपत्ति दाखिल किया और उसके धारा 4 एवं 5 में यह निवेदन किया कि न्यायालय को आयुक्त भेजकर यह जान लेना चाहिए कि विवादित मकान में कितने कमरे व किचन है और उसके आधार पर निर्णय करना चाहिए। लेकिन विचारण न्यायालय ने ऐसा नही किया। विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के बहस का कोई उल्लेख

अपने आदेश में नही किया है। विवादित आदेश मनमाना है तथा बिना किसी कारण के है। विचारण न्यायालय का आदेश हर तरह से रद्द किए जाने योग्य है और अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक–20.09.2022 रद्द किए जाने की कृपा की जावे और अपील स्वीकार करने की याचना की गयी है।

अपीलार्थीगण अब्दुल कादिर व नाजवन निशा के द्वारा साथ ही प्रार्थना पत्र 15ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी अपीलार्थी है। विवादित आदेश में उल्लिखित मकान पैतृक मकान नही है कि अपीलार्थी सं0–2 नाजबुन निशा की है जो कि एक वृद्ध एवं बिमार घरेलू महिला है। जिनको सेवा टहल, दवा इलाज व सुख शान्ति की आवश्यकता है। उक्त विवादित आदेश की विषय वस्तु की मकान की अपीलार्थी सं0–2 तनहा स्वामिनी है और राजस्व अभिलेखों में वही स्वामिनी व अध्यासनी है। उक्त मकान में एक मात्र रसोई घर है जिसमें एक आँगन व 05 कमरे है तथा उपरी तल पर एक टिन शेड का 8 X 10 का छोटा कमरा ठीक किचन के उपर है। अपीलार्थीगणों के कुल तीन लड़के व उनका परिवार है जो कि संयुक्त रूप से अपीलार्थीगणों के परिवार के सदस्य है। अपीलार्थीगणों की आयु 68–70 वर्षो की है तथा जो वृद्ध एवं बिमार व्यक्ति है और चिकित्सा के आधार पर जीवित है जिसके पास न तो किसी आय का साधन है और न ही आय का स्रोत ही है। अपीलार्थीगण स्वयं के भरण–पोषण व इलाज हेतु पुर्णतः अपने लड़को पर निर्भर है। अपीलार्थीगणों के लड़को में शकील अहमद पति प्रतिपक्षीनी मदीना व मदीना अपीलार्थीगणों को न तो कोई भरण–पोषण करते है न ही सेवा टहल व दवा इलाज से ही सम्बन्ध रखते है बल्कि विवादित मकान के एक कमरे में ही अलग रहते हुए अपना खान–पान अलग रखते है तथा शकील अहमद व मदीना मकान में हिस्सा की मांग करते हुए घर में उपद्रव उत्पन्न करते रहते है। विद्युत अधिभार व मकान के टैक्स व अन्य टैक्सों को चुकता करने में भी उक्त शकील व मदीना कोई धनीय सहयोग भी नही करते है। बल्कि अवैध रूप से अनाधिकार मकान में हिस्से की मांग करते है। जो कि उनका कोई अधिकार नही है, शहर देवरिया में तथा आस–पास उक्त शकील व मदीना द्वारा अपने नाम से कुल 03 प्लाट भी खरीद रखे है तथा एक पर अपना टीन शेड की मकान भी बना लिये हुए है। प्रार्थी अपीलार्थीगणों द्वारा प्रतिपक्षीनी मदीना को मकान से न कभी निकाला गया न ही इस हेतु उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित ही किया गया है। बल्कि वह उक्त मकान के एक कमरे में ही रह रही है तथा जबरन मकान में एक मात्र रसोई घर में ताला बन्दकर दिया गया है। जब अपीलार्थीगणों द्वारा उसी मकान के उपरी तल पर 10 X 8 के टीनशेड के कमरों को किचन के रूप से मदीना को उपयोग करने को दिया गया है तथा विद्युत सुविधा हेतु अपने नाम से अलग–अलग कनेक्शन पोल से लेने को कहा जा रहा है परन्तु वे जबरन अपीलार्थीगणों के विद्युत कनेक्शन से फ्री में विद्युत उपभोग करने के आशय से तथा अपीलार्थी सं0–2 नाजबून निशा की अपनी मकान का एक मात्र किचन में उसे प्रयोग करने से अवरोधित कर जबरन किचन पर अधिकार जमाने का प्रयास मदीना व शकील द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार

मदीना व शकील द्वारा अपीलार्थीगण सं0–2 के प्रति घरेलू हिंसा का भी अपराध विवादित आदेश की आड़ में किया जा रहा है। अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 20.09.2022 को कोई उल्लंघन नही किये है तथा अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश मदीना को फ्री में विद्युत उपभोग का अधिकार प्रदान करने के साथ ही एक मात्र रसोई घर जिसकी स्वामीनी अध्यासनी एक घरेलू महिला नाजबुन निशा अपीलार्थीनी सं0–2 है उसके उपयोग एवं उपभोग से वंचित कराते हुए शकील व मदीना के द्वारा कारित अपीलार्थीनी सं0–2 के प्रति घरेलू हिंसा कारित करने का प्रोत्साहन भी मिल रहा है। जिससे वे क्रियान्वित कर विधि व आदेश का दुरूपयोग कर रहे है। अतः उक्त परिस्थितियों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए तदनुसार कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

प्रतिपक्षी संख्या 1 मदीना खातून द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 15ख के खिलाफ आपत्ति 17ख दाखिल किया गया और कहा गया कि दरखास्त खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात व खिलाफ असलियत के अपीलार्थी का यह अभिकथन कि प्रस्तुत कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त साझे की मकान नाजबुन निशा की है बिल्कुल ही गलत है। नाजबुन निशा की उम्र इस वक्त लगभग 58 वर्ष है तथा वह शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ है। चूंकि नाजबुन निशा बीमार नहीं हैं। इसलिए उनको सेवा–टहल, दवा– इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी नाजबुन निशा साझे गृहस्थी के मकान की तनहा स्वामिनी नहीं हैं तथा हम प्रतिपक्षी के पति का भी हक व हिस्सा साझे गृहस्थी की मकान में है। ऐसी दशा में सम्बन्धित भूमि पर नाजबुन निशा का नाम दर्ज होने मात्र से यह तनहा मालिक नहीं है। अपीलार्थी का यह अभिकथन कि साझे गृहस्थी की मकान में एक मात्र रसोई घर है बिल्कुल ही गलत है। वास्तविकता यह है कि इस साझे गृहस्थी अपीलार्थी का यह अभिकथन कि साझे गृहस्थी की मकान में एक मात्र रसोई घर है बिल्कुल ही गलत है। वास्तविकता यह है कि इस साझे गृहस्थी की मकान में दक्षिण तरफ पक्का बड़ा कमरा लगभग 20X15 मौजूद है तथा इससे सटे एक कमरा दुकान के रूप में खाली पड़ा है जिसको कीचन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है परन्तु अपीलार्थीगण ने इस आवश्यक विवरण को छिपा लिया है। अपीलार्थी अब्दुल कादिर बिमार व्यक्ति नहीं है तथा वह चिकित्सा के आधार पर जीवित नहीं हैं तथा वह डाक्टरी पेशे से स्वतन्त्र आय करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थीगण का यह अभिकथन कि वे लोग स्वयं के भरण–पोषण व इलाज हेतु पूर्णतः अपने लड़को पर निर्भर हैं नितान्त मिथ्या व निराधार है। चूकि अपीलार्थीगण हम प्रतिपक्षी तथा हम प्रतिपक्षी के पति तथा हम प्रतिपक्षी के सन्तान के साथ निरन्तर क्रूरता तथा हिंसक एवं दुराचारिता का व्यवहार करते चले आ रहे हैं ऐसी दशा में वे लोग हम प्रतिपक्षी तथा हम प्रतिपक्षी के पति को सेवा का अवसर ही उत्पन्न नहीं होने देते हैं। अलावा इसके अपीलार्थीगण तथा मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा–12 के अन्य प्रतिउत्तरदातागण हम प्रतिपक्षी तथा हम प्रतिपक्षी के पति के अलग भोजन करने व बनाने के लिए विवश किये हुए हैं क्योंकि यदि हम प्रतिपक्षी अपना अलग भोजन न बनावे तो हम प्रतिपक्षी तथा हम प्रतिपक्षी के पति एवं हम प्रतिपक्षी की सन्तान भूखे मर जायेंगे। वास्तविकता यह है कि

अपीलार्थीगण तथा मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा–12 के अन्य प्रतिउत्तरदातागण एक राय व एक गोल हो कर दुर्भावनापूर्वक हम प्रतिपक्षी तथा हम प्रतिपक्षी के पति तथा हम प्रतिपक्षी के सन्तान को बुरी तरह मारते–पीटते हुए भद्दी–भद्दी गालियाँ देते रहते हैं। हम प्रतिपक्षी तथा हम प्रतिपक्षी के पति तथा हम प्रतिपक्षी की सन्तान सुलह पसन्द, शान्तिप्रिय तथा सरल व्यक्ति है। जिसका नाजायज फायदा उठाते हैं।हुए अपीलार्थीगण स्वयं तथा परिवार के अन्य सदस्यों से मारते व मरवाते रहते हम प्रतिपक्षी के पति विद्युत बिल तथा मकान के टैक्स अदायगी में सहयोग करते रहे हैं। साझे गृहस्थी की मकान में हम प्रतिपक्षी का हिस्सा है। इस वक्त हम प्रतिपक्षी के नाम से इस वक्त कोई प्लाट नहीं है। हम प्रतिपक्षी के पति नाम से जो छोटा प्लाट है उसमें रिहायशी मकान का तामीर नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा–12 के प्रतिउत्तरदातागण सौरभ एजेन्सी वाली गली में स्थित मकान में सुविधापूर्वक रहते हैं तथा वे लोग प्रस्तुत कार्यवाही मे अन्तर्गत साझे गृहस्थी की मकान में हम प्रतिपक्षी को उत्पीड़ित करने मारने तथा गाली देने आते–जाते रहते हैं तथा उनको वस्तुतः सम्बन्धित साझे गृहस्थी के मकान की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्बन्धित कीचन में अपीलार्थीगण ने ही ताला बन्द किया है तथा माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अपने द्वारा लगाया गया ताला नहीं खोला है। अपालीर्थीगण का यह अभिकथन कि उन्होने साझे गृहस्थी की मकान में उपरी तल पर 10 X 8 के टीन सेड के कमरे को कीचन के रूप में मदीना को उपयोग करने के लिए दिया गया है बिल्कुल ही गलत है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के वावजूद भी अपीलार्थीगण ने हम प्रतिपक्षी के उपयोग उपभोग हेतु विद्युत सम्बन्ध कायम नहीं होने दिया तथा उन्होने इस सम्बन्ध में गम्भीर अवरोध उत्पन्न किया। वास्तविकता यह है कि अपीलार्थीगण हम प्रतिपक्षी को उत्पीड़ित करने की दुर्भावना से साझे गृहस्थी की मकान से निष्कासित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। चूंकि अपीलार्थीगण तथा मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा–12 के अन्य प्रतिउत्तरदातागण ने प्रस्तुत अपील में अन्तर्गत आदेश की घोर अवहेलना किया है इसलिए हम प्रतिपक्षी ने उनके खिलाफ कार्यवाही अन्तर्गत दफा–31 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम परिवाद दाखिल किया है जो विचाराधीन है। विधिक स्थिति यह है कि अन्तर्गत दफा 2(S)घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में साझे गृहस्थी की मकान का स्वामित्व Consider नहीं किया जाता है। वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत आदेश पारित होने के पश्चात् अपीलार्थीगण रंज हो कर प्रश्नगत आदेश का घोर उल्लंघन करते चले आ रहे हैं तथा अपीलार्थीगण झूठे तौर पर हम प्रतिपक्षी को कलंकित करने दुर्भावना से प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिए हैं। वास्तविकता यह है कि अपीलार्थीगण किसी न किसी प्रकार हम प्रतिपक्षी द्वारा प्रारम्भ की गयी कार्यवाही को Linger करने पर तुले हुए हैं तथा इसी अनुक्रम में प्रस्तुत अपील में पक्षों की बहस होने के पश्चात् अपील के फैसले हेतु दिनांक 06.03.2023 तिथि सुनिश्चित होने की बखुबी जानकारी रखते हुए अपीलार्थीगण ने अपील

को Linger करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत अपील एवं प्रार्थना पत्र 15ख व आपत्ति 17ख का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील मुख्य रूप से न्यायालय सिविल जज जू0डि0/एफ.टी.सी. द्वितीय देवरिया द्वारा घरेलू हिंसा वाद संख्या–13348/2021 मदीना बनाम अब्दुल कादिर के मामले में पारित आदेश दिनांकित 20.09.2022 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी। आक्षेपित आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.07.2022 को स्वीकार करते हुए। आवेदिका व प्रतिपक्षीगण को आदेशित किया कि वह किचन में बंद किया गया ताला खोल दे। दौरान वाद आवेदिका मकान के जिस हिस्से में रहती है, खाना बनाती है, उसमें प्रतिपक्षीगण उसके रहन सहन में हस्तक्षेप न करे। प्रतिपक्षीकण आवेदिका के बिजली उपभोग में व्यवधान कारित न करे। दोनो पक्ष दौरान वाद अपना–अपना बिजली बिल वहन करे।

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण अब्दुल कादिर व नाजबुन निशा प्रतिपक्षी मदीना खातून के क्रमशः स्वसुर एवं सास है तथा अपीलार्थीगण एवं प्रतिपक्षी द्वारा साझी गृहस्थी के मकान में एक साथ रहना कहा जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि रिपोर्ट थाना कोतवाली में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया कि आवेदिका मदीना खातून आपने पति व बच्चो के साथ उसी मकान में रहती है जिस मकान में स्वसुर अब्दुल कादिर उम्र 69 साल पता मकान नं0 785 रामगुलाम टोला पूर्वी वार्ड नं0 8, थाना–कोतवाली, जनपद–देवरिया में रहते है। पिता अब्दुल कादिर मॉ नाजबुन निशा पतोह मदीना खातून के बीच सामन्जस्य न रहते हुए भी एक ही मकान में रह रहे है। जिनके कमरे अलग–अलग है तथा बिजली का कनेक्शन एक ही है। कभी कभी आपसी सामन्जस्य में खाटास पैदा होने के कारण आवेदिका के सास ससुर द्वारा बिजली बाधित कर दी गयी है तथा ताला बन्द किया गया है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण अब्दुल कादिर व नाजबुन निशा तथा प्रतिपक्षी सं01 मदीना खातून एक साथ साझे गृहस्थी में रह रहे है तथा अपीलार्थीगण द्वारा समय–समय पर ऐसे कृत्य किये जाते है जो घरेलू हिंसा के श्रेणी में आते है।

यहॉ घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005, कुछ प्रावधानो का उल्लेख किया जाना समीचीन हैः–

Section 17 - Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household, whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same.

(2) The aggrieved person shall not be evicted or excluded from the shared household or any part of it by the respondent save in accordance with the procedure established by law.

यहाँ धारा–19 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किया जाना समीचीन है।

19. Residence orders.—
(1) While disposing of an application under sub-section *(1)* of section12, the Magistrate may, on being satisfied that domestic violence has taken place, pass a residence order--
(a) restraining the respondent from dispossessing or in any other manner disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household, whether or not the respondent has a legal or equitable interest in the shared household;
(b) directing the respondent to remove himself from the shared household;
(c) restraining the respondent or any of his relatives from entering any portion of the shared household in which the aggrieved person resides;
(d) restraining the respondent from alienating or disposing off the shared household or encumbering the same;
(e) restraining the respondent from renouncing his rights in the shared household except with the leave of the Magistrate; or
(f) directing the respondent to secure same level of alternate accommodation for the aggrieved person as enjoyed by her in the shared household or to pay rent for the same, if the circumstances so require:
Provided that no order under clause *(b)* shall be passed against any person who is a woman.
(2) The Magistrate may impose any additional conditions or pass any other direction which he may deem reasonably necessary to protect or to provide for the safety of the aggrieved person or any child of such aggrieved person.
(3) The Magistrate may require from the respondent to execute a bond, with or without sureties, for preventing the commission of domestic violence.
(4) An order under sub-section *(3)* shall be deemed to be an order under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and shall be dealt with accordingly.
(5) While passing an order under sub-section *(1)*, sub-section *(2)* or sub-section *(3)*, the court may also pass an order directing the officer in charge of the nearest police station to give protection to the aggrieved person or to assist her or the person making an application on her behalf in the implementation of the order.
(6) While making an order under sub-section *(1)*, the Magistrate may impose on the respondent obligations relating to the discharge of rent and other payments, having regard to the financial needs and resources of the parties.
(7) The Magistrate may direct the officer in-charge of the police station in whose jurisdiction the Magistrate has been approached to assist in the implementation of the protection order.
(8) The Magistrate may direct the respondent to return to the possession of the aggrieved person her *stridhan* or any other property or valuable security to which she is entitled to.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट प्रतिउत्तरदाता को आदेशित कर सकता है कि वह साझी गृहस्थी से, किसी व्यथित व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा न करे और न ही उस कब्जे में विघ्न डाले।

यहॉ व्यथित व्यक्ति की परिभाषा पर विचार करना समीचीन है।

व्यथित व्यक्ति को अधिनियम की धारा–2(a) में परिभाषित किया गया है।

धारा–2(a) “aggrieved person” means any woman who is, or has been, in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent;

परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यथित व्यक्ति के अन्तर्गत कोई भी महिला आती है जो प्रतिउत्तरदाता के घरेलू नातेदारी में है या रही है और जो अभिकथित करती है कि उसे प्रतिउत्तरदाता द्वारा किसी घरेलू हिंसा के अध्याधीन रखा गया है।

यहॉ प्रतिउत्तरदाता की परिभाषा पर भी विचार करना समीचीन होगा।

प्रतिउत्तरदाता को अधिनियम की धारा–2(q) में परिभाषित किया गया है।

2(q) “respondent” means any adult male person who is, or has been, in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this Act:

जहॉ तक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 15ख में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया गया कि अपीलार्थी सं02 नाजबुन निशा(सास) के खिलाफ कोई आदेश पारित नही किया जा सकता क्योकि प्रत्यर्थी की परिभाषा में महिला नातेदार नही आती है तथा यह भी तर्क दिया गया कि वह स्वयं काफी उम्रदराज है। यहॉ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया जाना समीचीन हैः–

Sandhya Manoj Wankhade Vs Manoj Bhimrao Wankhade (2011) 3 SCC 650 Supreme Court में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियम की धारा–2(q) में परिभाषित प्रतिउत्तरदाता शब्द में महिला नातेदार शब्द भी समाहित है।

Hiral P. Harsora and others Vs. Kusum Narottamdas Harsora and others (2016) 10 SCC 165 Supreme Court." The Supreme Court has struck down the expression "adult male". The Supreme Court held that "adult male person" restricting the meaning of person" restricting the meaning of respondent in Section 2(q) to only "adult male person" is not based on any intelligible differentia having rational nexus with object sought to be achieved. Hence. it is now permissable under definition of Section 2(q) to include females also. Consequently, the respondent can also be a female in domestic relationship with the aggrieved person.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ससुर व सास दोनो ही प्रतिउत्तरदाता के श्रेणी में आयेगें जो यदि वह पतोहू के साथ घरेलू नातेदारी में रह रहा है।

यहॉ घरेलू नातेदारी की परिभाषा पर भी विचार करना समीचीन है।

घरेलू नातेदारी को अधिनियम की धारा–2(f) में परिभाषित किया गया है।

2(f) “domestic relationship” means a relationship between two persons who live or have, at any point of time, lived together in a shared household, when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption or are family members living together as a joint family;

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि यदि दो व्यक्ति साझी गृहस्थी में एक साथ रहते है या रह चुके है तथा वे समरक्तता द्वारा संबंधित है तो वे घरेलू नातेदारी में कहे जायेगे।

अतः स्पष्ट है कि ससुर और पतोहू एक दूसरे के घरेलू नातेदारी की परिभाषा में आती है।

यहॉ घरेलू हिंसा की परिभाषा पर भी विचार करना समीचीन होगा।

घरेलू हिंसाको अधिनियम की धारा–3 में परिभाषित किया गया है।

3. Definition of domestic violence.—For the purposes of this Act, any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it—

(a) harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse; or

(b) harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person with a view to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security; or

(c) has the effect of threatening the aggrieved person or any person related to her by any conduct mentioned in clause (a) or clause (b); or

(d) otherwise injures or causes harm, whether physical or mental, to the aggrieved person. Explanation I.—For the purposes of this section,—

(i) “physical abuse” means any act or conduct which is of such a nature as to cause bodily pain, harm, or danger to life, limb, or health or impair the health or development of the aggrieved person and includes assault, criminal intimidation and criminal force;

(ii) “sexual abuse” includes any conduct of a sexual nature that abuses, humiliates, degrades or otherwise violates the dignity of woman;

(iii) “verbal and emotional abuse” includes—

(a) insults, ridicule, humiliation, name calling and insults or ridicule specially with regard to not having a child or a male child; and

(b) repeated threats to cause physical pain to any person in whom the aggrieved person is interested.

(iv) “economic abuse” includes—

(a) deprivation of all or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled under any law or custom whether payable under an order of a court or otherwise or which the aggrieved person requires out of necessity including, but not limited to, household necessities for the aggrieved person and her children, if any,

stridhan, property, jointly or separately owned by the aggrieved person, payment of rental related to the shared household and maintenance;

(b) disposal of household effects, any alienation of assets whether movable or immovable, valuables, shares, securities, bonds and the like or other property in which the aggrieved person has an interest or is entitled to use by virtue of the domestic relationship or which may be reasonably required by the aggrieved person or her children or her stridhan or any other property jointly or separately held by the aggrieved person; and

(c) prohibition or restriction to continued access to resources or facilities which the aggrieved person is entitled to use or enjoy by virtue of the domestic relationship including access to the shared household. Explanation II.—For the purpose of determining whether any act, omission, commission or conduct of the respondent constitutes "domestic violence" under this section, the overall facts and circumstances of the case shall be taken into consideration.

उप निरीक्षक थाना कोतवाली की आख्या दिनांकित 07.09.2022 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि अपीलार्थी स्वसुर द्वारा प्रतिपक्षी/पीड़िता के बीच कभी कभी आपसी सामन्जस्य में खाटास पैदा होने के कारण आवेदिका के सास ससुर द्वारा बिजली बाधित कर दी गयी है तथा ताला बन्द किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का कृत्य धारा 3 के अन्तर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है।

उपरोक्त विवेचना, मामले के तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखो के दृष्टिगत न्यायालय इस मत का है कि चूंकि आवेदिका/पीड़िता अपीलार्थी सं01 की पतोहू है तथा दोनो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते है तथा समय–समय पर घरेलू हिंसा के कृत्य कारित किये जाते है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.09.2022 तथ्य एवं विधि के प्रतिकूल नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिपूर्ण तथा सम्यक है तथा विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं किया है तथा उक्त आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है तथा अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या–73/2022 खारिज की जाती है। विद्वान सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफ.टी.सी. द्वितीय, देवरिया द्वारा घरेलू हिसां वाद संख्या–13348/2021 मदीना बनाम अब्दुल कादिर व अन्य के प्रकरण में घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005, थाना–कोतवाली, जनपद देवरिया में पारित आदेश दिनांकित 20.09.2022 पुष्ट किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 15ख व आपत्ति 17 ख भी निस्तारित की जाती है।

इस आदेश की एक प्रति सहित मूल पत्रावली विद्वान सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफ.टी.सी. द्वितीय, देवरिया को अविलम्ब भेजी जाय। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 24.03.2023

(अजय कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0 एक्ट)
कक्ष सं0 4, देवरिया।
J.O. Code-UP 2644

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित तथा उद्घोषित किया गया।

दिनांक 24.03.2023

(अजय कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0 एक्ट)
कक्ष सं0 4, देवरिया।
J.O. Code-UP 2644

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2023.03.24 16:42:25 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court